

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

निम्नदाब विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो

प्रति,

सहायक/कनिष्ठ अभियंता

छ.ग.रा.वि.कं.मर्या.....

महोदय,

परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन क्रमांक.....

श्री/श्रीमति/मेसस पूर्व कनेक्शनधारी का नाम.....

के नाम पर प्रदान किया गया था। यह अनुरोध किया जाता है कि

कारण से इस विद्युत कनेक्शन को श्री/श्रीमति/मेसस जिनके नाम पर करना है.....

के नाम से वर्तमान इसी पते पर नामांतरण करने का कष्ट करें।

इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार हैं-

1. आवेदक/संस्थान का नाम.....

2. पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम.....

3. परिसर का पता (जहाँ कनेक्शन में भार वृद्धि/कमी/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन किया जा रहा है)

मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक.....सड़क /क्षेत्र/कालोनी.....

कस्बा/शहर/गांव.....जिला.....

मोबाईल नं.....ईमेल (उपलब्ध है तो).....

आधार कार्ड क्रमांक.....बी.पी.एल.सर्वे सूची क.....

4. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी की कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं

5. क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है पर कोई बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं

6. उपरोक्त परिसर जो लागू हो का निशान लगावें

अ मेरे स्वामित्व अधिकार में हैं जिनके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है।

ब मेरे द्वारा किराए पर लिया गया है एवं परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

7. उपरोक्त आवेदक के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिन्दु पर मैं/हम सहमत हैं।

क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

ख. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह मे की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय समय पर आयोग द्वारा अवधारित किए जाएँगे। इन प्रभारों में इंधन मूल समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

ग. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों (समय समय पर संशोधित) के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।

घ. यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।

- ड. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा।
- च. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जाँच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा।
- छ. यह कि उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपभोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराए आदि पर देने का कार्य नहीं करेगा।
- ज. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालने करने हेतु बाध्य होगा। अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथासंदर्भानुसार की जावेगी।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
आवेदक ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

(नाम व पता)

1. गवाह

2. गवाह

विद्युत वितरण कंपनी के प्राधिकृत

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक.....